अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), शिवगंज

बइजलास डॉ. नरेश सोनी, आर0ए0एस0

वादी		प्रतिवादीगण
1.कुनाल परिहार पुत्र कपिल परिहार 2.कोमल परिहार पुत्र कपिल परिहार 3.गौरव परिहार पुत्र कपिल परिहार 4.संतोष पत्नी कपिल परिहार जातियान माली निवासीगण बजुरिया कृषि फॉर्म शिवगंज **विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेशकुमार खण्डेलवाल**	बनाम	1.अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका शिवगंज 2. तहसीलदार शिवगंज जिला सिरोही। **विद्वान अधिवक्ता श्री महेश अग्रवाल**

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

वाद संख्या 19/2023

—::निर्णय::—

दिनांक 25.07.2023

राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत वादीगण ने जरिये अधिवक्ता विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश किया। संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की कृषि भूमि सरहद मौजा ऐरनपुरा तहसील शिवगंज में स्थित खसरा नम्बर 234/3 रकबा 0.1538 हैक्टयर किस्म बरसाली 1 ए की आई हुई स्थित है। उपरोक्त भूमि के पास ही प्रतिवादी सं0 1 के नाम की भूमि खसरा नं0 233/331 रकबा 0.6232 हैक्टयर की स्थित है। वादीगण की स्वामित्व की राजस्व रेकर्ड में दर्ज भूमि खसरा नं0 234/3 रकबा 0.1538 हैक्टयर पर प्रतिवादी सं0 1 का कब्जा चला आ रहा है एवं प्रतिवादी सं0 1 के स्वामित्व की दर्ज भूमि खसरा नं0 233/331 रकबा 0.6232 हैक्टयर में से 0.1538 हैक्टयर भूमि पर वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। वादीगण के कब्जे स्वामित्व की भूमि 234/3 वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाम दर्ज है किन्तु वादीगण का कब्जा खसरा नं0 233/331 में रकबा 0.1538 हैक्टयर भूमि पर मौके पर आज भी मौजूद है। उस भूमि को वादीगण के नाम खातेदारी घोषित करना न्यायहित में आवश्यक है एवं खसरा नं0 234/3 रकबा 0.1538 हेक्टयर जो वादीगण के नाम से दर्ज है, उसको विलोपित कर नगरपालिका/प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस प्रकार वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 का कब्जा स्वामित्व राजस्व रेकर्ड में दर्ज भूमि के विपरित चला आ रहा है, जिससे खसरा नं0 233/331 रकबा 0.6232 हैक्टयर में से 0.1538 हैक्टयर भूमि कब्जा अनुसार वादीगण के नाम से एवं खसरा नं0 234/3 रकबा 0.1538 हैक्टयर कब्जा अनुसार प्रतिवादी सं0 1 नगर पालिका के नाम से घोषित करने की आवश्यकता होने से उपरोक्त वाद बाबत खातेदारी घोषणा का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया है। राजस्व रेकर्ड की ऑनलाईन फिडिंग किये जाते समय खसरा कब्जा के विपरित दर्ज किये हुए है। जिससे कब्जा अनुसार उपरोक्त भूमि दर्ज किया जाना कानूनन आवश्यक है एवं न्याय संगत है। वादीगण को हाल ही में प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा प्रतिवादीगण का जहां कब्जा है उसे अपने स्वामित्व की बताये जाने व कब्जा छोडने बाबत कहे जाने पर वाद प्रस्तुत करने का कारण पैदा हुआ एवं उसके बाद राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त करने पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। अतः वादीगणों द्वारा खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2024.01.02 11:38:26 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण का वादपत्र पर प्रथम दृष्टया [illegible] होने पर दिनांक 17.5.2023 को दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगणों को सम्मन जारी हुए। दिनांक 24.05.2023 को प्रतिवादीगणों के सम्मन तामीलशुदा प्राप्त हुए एवं प्रतिवादी सं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री महेश अग्रवाल ने वकालतनामा पेश कर जवाबदावा पेश किया। दिनांक 21.07.2023 को प्रतिवादी सं0 2 के द्वारा जवाबदावा पेश किया। दिनांक 25.07.2023 को प्राप्त जवाबदावे पर बहस सुनी गई। बहस में प्रतिवादी सं0 1 ने वादपत्र के कथन 1 ता 4 को स्वीकार किये किया जाकर अपनी अनापत्ति दिये जाने व प्रतिवादी सं0 2 के द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट व संलग्न प्रस्तावित संशोधित नक्शा अनुसार तरमीम शुद्ध किये जाने को उचित बताया गया है।

लगातार पेज–2

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

प्र0सं0 19/2023
कुणाल परिहार बनाम अधिशाषी अधिकारी
अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

हमनें पत्रावली का अवलोकन, जवाबदावा एवं प्रस्तुत बहस पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादपत्र के कथन 1 ता 4 को स्वीकार कर अनापत्ति व्यक्त किये जाने व प्रतिवादी सं0 2 तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट एवं संलग्न नक्शा अनुसार ऑनलाईन भू–नक्शा पोर्टल पर तरमीम शुद्ध किया जाना उचित बताने पर वादीगणों द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार जाकर मौजा एरनपुरा के खसरा सं. 233/331 रकबा 0.6232 हैक्टयर किस्म आबादी में से 0.1538 हैक्टयर किस्म बरसाली–1ए संलग्न नक्शा अनुसार प्रदर्शित भाग पर वादीगणो को खातेदार धोषित किया जाता है एवं खसरा सं. 234/3 रकबा 0.1538 हैक्टयर किस्म आबादी को प्रतिवादी सं0 1 नगर पालिका, शिवगंज के हक में दर्ज किये जाने की डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है। संलग्न नक्शे को निर्णय का अभिन्न अंग माना जावें। तदानुसार पर्चा डिग्री जारी हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

यह निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत के आज तारीख 25.07.2023 को जारी किया जाता है।

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

क्रमांक/कोर्ट/2023/547
दिनांक 25.07.2023

तहसीलदार शिवगंज को पालनार्थ ।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2024.01.02 11:38:26 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व मुकदमें इब्तदाई

(ऑ 20 रूल 67 जाब्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), शिवगंज

बइजलास डॉ. नरेश सोनी, आर0ए0एस0

वादी		प्रतिवादीगण
1.कुनाल परिहार पुत्र कपिल परिहार 2.कोमल परिहार पुत्र कपिल परिहार 3.गौरव परिहार पुत्र कपिल परिहार 4.संतोष पत्नी कपिल परिहार जातियान माली निवासीगण बजुरिया कृषि फॉर्म शिवगंज **विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेशकुमार खण्डेलवाल**	बनाम	1.अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका शिवगंज 2. तहसीलदार शिवगंज जिला सिरोही। **विद्वान अधिवक्ता श्री महेश अग्रवाल**

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

वाद संख्या 19/2023

<u>–::आदेश::–</u>

दिनांक 25.07.2023

यह मुकद्दमा आज वास्ते उपस्थित वादीगण एंव प्रतिवादीगण पेश होने से आदेश दिया जाता है व डिकी किया जाता है कि वादीगण का वाद पत्र विरूद्व प्रतिवादीगण को कतिपय प्रावधानो के तहत स्वीकार कर डिकी किया जाता है कि प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादपत्र के कथन 1 ता 4 को स्वीकार कर अनापत्ति व्यक्त किये जाने व प्रतिवादी सं0 2 के द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा में संलग्न संशोधित प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम शुद्ध किये जाने को उचित बताने के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार जाकर मौजा एरनपुरा के खसरा सं. 233/331 रकबा 0.6232 हैक्टयर किस्म आबादी में से 0.1538 हैक्टयर किस्म बरसाली–1ए संलग्न नक्शा अनुसार प्रदर्शित भाग पर वादीगणो को खातेदार घोषित किया जाता है एवं खसरा सं. 234/3 रकबा 0.1538 हैक्टयर किस्म आबादी को प्रतिवादी सं0 1 नगर पालिका, शिवगंज के हक में दर्ज किये जाने की डिकी जारी की जाती है। संलग्न प्रस्तावित संशोधित नक्शे को निर्णय का अभिन्न अंग माना जावें। तहसीलदार शिवगंज को निर्णय/डिकी की पालना मे राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करे ।

आज दिनांक 25.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(डॉ. नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

सहायक कलेक्टर
शिवगंज (सिरोही)

मुदाई	रूपया/पै..	मुद्दायलाह	रूपया/पैसे
स्टाम्प अरजी दावा	–शून्य–	स्टाम्प वकालतनामा	–:शून्य:–
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प वजह सबूत		[illegible]	
खर्चा गवाहान		[illegible]	
फीस कमिश्नर		[illegible]	
मुतफरीक		[illegible]	
बाबतइजराय हुकमनामा		[illegible]	
मीजान		मीजान	

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2024.01.02 11:38:26 IST
Reason: SelfAttested

क्रमाक/कोर्ट/2023/548

दिनाक 25.07.2023

प्रतिलिपि सूचनार्थः–
तहसीलदार शिवगंज

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

सहायक कलेक्टर
शिवगंज (सिरोही)